राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

गोपाललाल बनाम बिहारी सिंह

तारीख हुक्म	132/2026 हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
21/05/2026		

पत्रावली प्रस्तुत हुई। अधिवक्ता अपीलार्थी उपस्थित। रेस्पो. बाद तामील अनुपस्थित। अधिवक्ता अपीलार्थी की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी। अधिवक्ता अपीलार्थी की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। संक्षेप में तथ्य प्रकरण इस प्रकार है कि रेस्पो. संख्या 1 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद बाबत तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 22/01/2025 पारित करते हुये ग्राम चारणवास, तहसील चौमूं, जिला जयपुर में स्थित खातेदारी कृषि भूमियों हाल खाता सं. 2 के खसरा नं. 338 रकबा 0.03 है., खसरा नं. 339 रकबा 1.62 है., कुल किता 2 का कुल रकबा 1.65 हैक्टेयर व खाता सं. 111 के खसरा नं. 326 रकबा 2.32 है., खसरा नं. 337 रकबा 0.44 है., कुल किता 2 का कुल रकबा 2.76 हैक्टेयर भूमि का जमाबंदी में दर्ज हिस्से अनुसार सभी पक्षकारों के रहवास / मकानात, कब्जे काश्त एवं रास्ते की सुविधा को ध्यान में रखते हुए बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स तकासमा किया जाकर कुर्रेजात रिपोर्ट तैयार किये जाने के निर्देश प्रदान किये ग. । जिसकी पालना में कुर्रेजात रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रेषित किये गये, जिस पर मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अन्तिम निर्णय व डिक्री दिनांक 07/08/2025 पारित करते हुये वाद डिक्री कर दिया गया। जिससे व्यथित होकर अपीलार्थीगण द्वारा यह अपील इस न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र धारा-5 कानून मियाद के साथ प्रस्तुत की गयी है। जिस पर रेस्पो. बाद तामील अनुपस्थित रहने पर अधिवक्ता अपीलार्थी की एकपक्षीय मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी।

अधिवक्ता अपीलार्थी की बहस पर गौर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। उद्धरित तथ्यों के परिपेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का मय कुर्रेजात रिपोर्ट एवं अपीलाधीन निर्णय व डिक्री अवलोकन किये जाने से यह जाहिर होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन अन्तिम निर्णय व डिक्री के माध्यम से सहखातेदारान के मध्य किया गया विभाजन उचित एवं न्यायसंगत नही है। इसके अतिरिक्त यह तथ्य भी स्पष्ट होता है कि प्रश्नाधीन वाद में विभाजन नियम 53(5) के प्रावधानों का बिन्दु मौजूद है, जिसके सन्दर्भ में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कोई परिक्षण नही किया जाना जाहिर होता है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन अन्तिम निर्णय व डिक्री निरस्त करते हुये प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को विधिसम्मत निर्णय हेतु प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझा जाता है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	गोपाललाल बनाम बिहारी सिंह हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	132/2026	

अत: उपरोक्त विवेचन के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 07/08/2025 निरस्त किये जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे पक्षकारान को आपत्ति प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान कर प्राप्त आपत्तियो का विवेचनात्मक एवं विधिसम्मत निस्तारण करने के उपरान्त बाद सुनवाई उभयपक्षकारान विधिक प्रावधानों का अनुसरण करते हुये विधिसम्मत निर्णय व डिक्री पुन: पारित करे | तदनुसार अपील स्वीकार की जाती है |

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो |

निर्णय आज दिनांक 21/05/2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया |

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर